सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग का स्वप्रेरणा प्रकटन (Suomoto Discolsure)

महिला एवं बाल विकास विभाग के 25 बिन्दु मेन्युअल

प्रस्तावनाः–

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :–

संविधान के भाग 3 में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है जिसके अनुछच्द 19 (क) में अभिव्यक्ति स्वातंत्रय तथा वाक् स्वातंत्रय का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार अनुछेच्द 29 (क) नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक मामलों में यह स्पष्ट किया है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार अपने आप में पारदर्शी एवं सक्षम शासन को चलाने के लिए आवश्यक और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का ही अभिन्न अंग है तथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है।

- सूचना का अधिकार का उद्देश्य :–

नागरिकों द्वारा किसी भी लोक प्राधिकरण के स्वामित्व में मौजूद उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति जो स्वयं उनसे जुड़ी हो या प्रच्छा लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो। यह सूचना का रिकार्ड, फाइले, रजिस्टर्स, आकडे, रेखाचित्र, नमूने इत्यादि किसी भी रूप में हो सकती हैं। अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके हम जान सकते है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाली सेवाएं कौन–कौन सी है, उनका लाभ कैसे और कब उठाया जा सकता हैं, आदि।

- उपयोगिताः– सूचना का अधिकार पुस्तिका सभी आम नागरिकों /व्यक्तियों/ संस्थानों /अशासकीय संगठनों के लिए उपयोगी है क्योकि सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

- **सूचना एवं शुल्क के लिये संपर्क सूत्र–**

  सूचना प्राप्त करने के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास में श्री आर.पी.सिंह–लोक सूचना अधिकारी एवं सुश्री नीलू भटट्– सहायक लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक– महिला एवं बाल विकास, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी– महिला एवं बाल विकास, प्रशिक्षण केंद्रों पर मुख्य निर्देशक प्रशिक्षण केंद्र, परियोजना स्तर पर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक तथा आंगनवाड़ी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है।

- सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में :–

  संचालनालय महिला एवं बाल विकास हेतु अपीलीय अधिकारी–श्रीमती राजपाल कौर, अपर संचालक, से संपर्क किया जा सकता है ।

विभाग अंतर्गत उपयोग किये जाने वाले प्रमुख शब्द–

- आईसीडीएस– एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।
- ए.डब्ल्यू डब्ल्यू – आंगनवाडी कार्यकर्ता।
- एम.ए डब्ल्यू डब्ल्यू–उप आंगनवाडी कार्यकर्ता।
- .ए.डब्ल्यू एच –आंगनवाडी सहायिका
- ए.डब्ल्यू.सी – आंगनवाडी केंद्र।
- एम.डब्ल्यू.सी –उप आंगनवाडी केंद्र।
- एस.एन.पी –पूरक पोषण आहार।

बिन्दु क्रमांक 01 – संगठन की विशिष्टयॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

1. लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :–

संचालनालय महिला एवं बाल विकास के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- प्रदेश की गर्भवती /धात्री महिलाओं तथा 0–6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण सेवायें प्रदान की जाती है।
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।

2 लोक प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग का मिशन/विजन :–

मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्व है और इसी संदर्भ में प्रदेश के मानव विकास प्रतिवेदन में जेन्डर विकास सूचकांक तथा बच्चों के शाला प्रवेश , शिक्षा आदि का समावेश किया जाता है ।

आजकल विकास की नवीनतम अवधारणा के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI विकास की गति दर्शाने वाले महत्वपूर्ण मानक हैं और विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के देशों की विकासीय स्थिति का मूल्यांकन भी इन्हीं सूचकांक के आधार पर करने लगे हैं । इन सूचकांकों में शिशु मृत्यु दर (IMR), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (Under Five Mortality Rate) मातृ मृत्यु दर (MMR), लाईफ एक्सपैक्टेन्सी एट बर्थ, साक्षरता दर, बच्चों का पोषण स्तर इत्यादि प्रमुख है। इन सूचकांको के अनुसार हमारे देश भारत और विशेष रूप से मध्यप्रदेश की स्थिति पिछड़े स्थानों के बीच आती थी। इन बातों को देखते हुए भविष्य के नागरिकों के सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये समेकित बाल विकास सेवा योजना की संकल्पना की गई । इस परियोजना को क्रियावित करने के साथ–साथ महिला बाल विकास की नई अवधारणा, जिसमें महिला कल्याण से उपर उठकर महिला सशक्तीकरण पर केन्द्रित योजनाओं को लागू करना निहित है, का क्रियान्वयन भी विभाग की जिम्मेदारी में शामिल हुआ है ।